detailed investigation. The genuineness of entries made in the DEEC Book is also being verified.

(d) Under advance licence scheme, import of raw materials etc. is allowed for export production. Imported material not used in export product cannot be disposed of otherwise except with the permission of the licensing authority concerned. In case of misuse of imported material action will lie under the Imports and Exports (Control) Act and the Order issued thereunder, in addition to the forfeiture of bank guarantee.

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

899. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालयों के पुनः वर्गीकरण के बाद से संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार पर्यटन विभाग हेतु प्रथक हिंदी सलाहकार समिति गठित करने का भी विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) तत्कालीन पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय से पर्यटन विभाग के प्रथक हो जाने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन विभाग के लिए अलग से एक हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया जाए । समिति के गठन को संसदीय कार्य विभाग, राजभाषा से विभाग आदि से परामर्श करते हुए अंतिम रूप दिया रहा है ।

सितम्बर, 1985 से संसदीय कार्य विभाग में हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है । इस समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं ।

बंधुआ श्रम

900. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्धुआ मजदूर की क्या परिभाषा है और क्या सरकारी विभागों/उपक्रमों में इन्हीं परिस्थितियों में कार्य करने वाले व्यक्ति इस परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते, और यदि हां, तो इस प्रकार के कानून की उपयोगिता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय बन्धुआ मजदूर अर्थात डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं मानता, हालांकि उन्हें सभी प्रकार के दायित्व सौंपे जाते हैं तथा जिन विभागेतर डाकपालों के घरों में ये डाक घर चलाते हैं, उन्हें किराये या मरम्मत प्रभारों की बात तो अलग, सफाई प्रभार भी अदा नहीं किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या विभाग इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने का विचार रखता है, और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) "बंधित श्रमिक" और "बंधित श्रम पद्धति" की परिभाषा जैसे बंधित श्रम पद्धति (उत्पसादन) अधिनियम 1976 में दी गई है, उसे संलग्न विवरण में उद्धृत किया गया है (नीचे) देखिये । चूंकि डाक विभाग के विभागेतर कर्मचारी इन शर्तों को पूरा नहीं करते, इसलिए उन्हे बंधुआ श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 से उद्धरण

धारा 2(च) "बंधित श्रमिक" से ऐसा श्रमिक अभिप्रेत है, जो बंधित ऋण उपगत करता है या जिसने उपगत किया है या जिसके बारे में यह उपधारणा की जाती है कि उसने उपगत किया है

(छ) "बंधित श्रम पद्धति" से बलात या भागत : बलात श्रम की पद्धति अभिप्रेत है जिसके अधीन ऋणी लेनदार से निम्नलिखित के लिए करार करता है या कर चुका है या यह उपधारणा की जाती है कि उसने करार किया है कि :

(i) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वजों या वंशजों में से किसी के द्वारा अभिप्राप्त अग्रिम के प्रतिफल में (चाहे ऐसा अग्रिम किसी दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित है या नहीं) और ऐसे उधार पर देय ब्याज के, यदि कोई हो, प्रतिफल में, अथवा

(ii) किसी रूढ़िगत या सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में, अथवा

(iii) किसी ऐसे बाध्यता के अनुसरण में, जो उत्तराधिकार द्वारा उसको न्यागत हुआ हो, अथवा ,

(iv) उसके द्वारा या उसके पारम्परिक पूर्वजों या वंशजों में से किसी के द्वारा प्राप्त किसी आर्थिक प्रतिफल के लिए, अथवा

(v) किसी विशिष्ट जाति या समुदाय में उसके जन्म लेने के कारण, यह होगा कि —

(1) वह स्वयं या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के जरिए या अपने पर आश्रित किसी व्यक्ति के जरिए या अपने घर पर आश्रित किसी व्यक्ति के लेनदार का या लेनदार के फायदे के लिए, श्रम या सेवा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिये या तो मजदूरी के बिना या नाममात्र की मजदूरी पर करेगा, अथवा

(2) उसके नियोजन या उसकी आजीविका के अन्य साधनों की स्वतंत्रता विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या अविनिर्दिष्ट अवधि के लिए समपहृत हो जाएगी; अथवा

(3) भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवधि संचरण का उसका अधिकार समपहृत हो जाएगा, अथवा

(4) उसकी किसी सम्पत्ति या उसके श्रम या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य या उस पर आश्रित किसी व्यक्ति के श्रम के उत्पाद को विनियोजित करने या उसे बाजार मूल्य पर विक्रय करने का उसका अधिकार समपहृत हो जाएगा ।

और इसके अंतर्गत बलात या भागत: बलात श्रम की वह पद्धति भी है जिसके अधीन ऋणी का प्रतिभू लेनदार के साथ इस आशय का करार करता है या यह उपधारणा की जाती है कि उसने यह करार किया है कि ऋणी द्वारा ऋण का प्रतिसंदाय करने में असफल रहने की दशा में वह ऋणी की ओर से बंधित श्रम करेगा ।

Jute industry

901. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is imbalance in the demand and supply position of jute goods in the country according to Government study and that despite bumper jute crop, the industry continues to be plagued with various problems resulting in acute financial crisis;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what remedial measures are proposed to be taken by Government to rescue the jute industry from its present position?